राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–326/2023

शंकरलाल परमार –अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान,जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.08.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुशील सोलंकी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि वर्ष 2015–16 के लिए मुख्य अभियन्ता के पद की जो डीपीसी दिनांक 24.11.2015 को आयोजित की गई थी उसमें दो पद इस आधार पर रिक्त रखे गए कि सुभाष चन्द्र गुप्ता–प्रथम व मुकेश लोकवानी का रिकॉर्ड अपूर्ण था, इस कारण 2 रिक्तियों के विरूद्ध डीपीसी द्वारा नहीं भरी गई और डीपीसी स्थगित रखी गई। इसके पश्चात् सोहन लोकवानी को दिनांक 17.11.2016 की डीपीसी के द्वारा मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि एक पद जो रिक्त रखा गया उसके लिए रिव्यू डीपीसी आयोजित नहीं की गई। सुभाष चन्द्र गुप्ता–। के संबंध में जो डीपीसी डेफर की गई उसे आयोजित किये जाने के लिए अपीलार्थी की ओर से संक्षिप्त प्रार्थना की गई है। उनका कथन है कि एक रिक्त पद के लिए रिव्यू डीपीसी आयोजित की जाती है तो उसमें अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो सकेगा क्योंकि सुभाष चन्द्र गुप्ता–। के रिकॉर्ड अभी तक पूर्ण नहीं है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह कथन है कि अगर किसी कारण एक कार्मिक के संबंध में डीपीसी डेफर की जाती है तो उसके आधार पर कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति नहीं दी जा सकती है।
3. उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

4. हम यह पाते है कि वर्ष 2015–16 में जो रिक्तियों के विरूद्ध मुख्य अभिन्ता के पद के लिए डीपीसी आयोजित की गई उसमें से एक पद पर पदोन्नति स्थगित रखी गई है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि वर्ष 2015–16 की रिक्तियों में मुख्य अभियन्ता के पद के संबंध में एक पद के लिये जो डीपीसी डेफर किया गया है उसके संबंध में नियमानुसार रिव्यू डीपीसी आयोजित कर नियमानुसार पदोन्नति की कार्रवाई सम्पादित करें।
5. यह समस्त कार्यवाही आदेश प्राप्ति के 3 माह के भीतर सुनिश्चित की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)